न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.,

रसद मामला संख्या– 115/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/176

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये देवाराम सारण, प्रवर्तन प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्योलय, नागौर		1. श्री राजेशसिंह पुत्र श्री हकीरसिंह जाति राजपूत निवासी कारू बनकट तहसील मडीयाहू जिला जोनपुर उत्तरप्रदेश (वाहन चालक) 2. श्री रौनकसिंह (वाहन मालिक) पुत्र श्री शिवपुजन सिंह निवासी रूम नम्बर 4 अमीत भाई की चाल हनुमान मन्दिर के पास टिगरा दादर एण्ड नगर हवेली 3. श्री तोगाराम पुत्र श्री भीयांराम जाति जाट निवासी निवासी बेनीवालों की ढाणी कुडछी तहसील खीवंसर जिला नागौर 4. श्री राजसिंह पुत्र श्री शैलेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुर तहसील लालगंज जिला आजमगढ उत्तरप्रदेश (खलासी)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामावतार पूनिया
2. अप्रार्थी संख्या–1, 2 व 4 वकील श्री भगवानसिंह राठौड़, अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।

निर्णय दिनांक –15-06-2022

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 75 लोहे के ड्रम मय 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1 लोहे का पांच लीटर क्षमता का मापक, 1 लोहे का कीप टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 मय 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि दिनांक 24.09.2021 को श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी नागौर को पुलिस थानाखीवंसर से दूरभाष पर ग्राम कुडछी तहसील खीवंसर में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण की सूचना मिली। थानाधिकारी की सूचना के आधार पर श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी हमराह रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक एवं शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना खीवसर पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस [illegible] खीवंसर से सम्पर्क किया। थानाधिकारी पुलिस थाना खीवंसर से प्राप्त त[illegible] ढाणी ग्राम कुडछी तहसील खीवंसर पहुंचे। मौके पर पुलिस जाब्ता श्री [illegible] बेल्ट नं. 447 व श्री सु[illegible] बेल्ट नं. 1162 तैनात पाय गये जिन्होनें मौका निरीक्षण करवाया। मौका निरीक्षण के दौरान [illegible] पर पुलिस द्वारा डिटैनशुदा कुल 75 लोहे के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए ड्रम पाये गये व 25 लोहे के व 27

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

प्लास्टिक के कुल 52 खाली ड्रम पाये गये। मौके पर एक मेनुअल पम्प मय 5 फिट लम्बा प्लास्टिक पाईप, 1 लोहे का 5 लीटर क्षमता का मापक व 1 लोहे का कीप पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे लौहे के 75 ड्रमो का डिप रोड से मापन करने पर 75 लोहे के ड्रमों मे कुल 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इसके पश्चात पुलिस थाना खीवंसर पहुंच कर पुलिस थाना मे डिटेनशुदा ऑयल टैंकर वाहन सं. डी.एन. 09 एन. 9676 का मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण करने पर उक्त आयल टैंकर मे पाचं खण्ड पाये गये जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। ऑयल टैंकर मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का गवाहों के समक्ष मापन करने पर टैंकर पर ही उपलब्ध अलग–अलग खण्डों के लिए अलग–अलग डिप रोड्स के अनुसार खण्ड 1 में 1500 लीटर, खण्ड 2 में 1500 लीटर खण्ड 3 में 2000 लीटर, खण्ड 4 में 2000 लीटर व खण्ड 5 में 2500 लीटर अर्थात टैंकर के पाचों खण्डों मे कुल 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री राजेशसिंह पुत्र श्री हकीरसिंह निवासी कारू बनकट उतरप्रदेश वाहन चालक से पुछताछ कर बयान दर्ज किये गये व बयान फर्द मौका के साथ सलंग्न किये गये। अपने बयानों मे श्री राजेशसिंह ने स्वीकार किया कि ऑयल टैंकर वाहन सं. डी.एन. 09 एन. 9676 का वह चालक है। वह सिलवासा से उक्त टैंकर में ट्रांसफार्मर ऑयल भरवाकर बेनीवालों की ढाणी ग्राम कुडछी तहसील खीवंसर स्थित मैसर्स किसान एन्टरप्राईजेज के यहां खाली करवा रहा था कि मौके पर पुलिस पहुंची और उक्त कार्य को रूकवा दिया। मौके पर उपस्थित वाहन सं. डी.एन. 09 एन. 9676 के खलासी श्री राजसिंह पुत्र श्री शैलेन्द्रसिंह के बयान दर्ज कर बयान फर्द मौका के साथ सलंग्न किये गये। मौके पर उपस्थित व्यक्ति श्री तोगाराम पुत्र श्री भीयाराम निवासी कुड़छी से पूछताछ कर बयान दर्ज कर फर्द मौका के साथ सलंग्न किये गये। अपने बयानों में श्री तोगाराम ने स्वीकार किया कि उसकी एक फर्म मैसर्स, किसान एन्टरप्राईजेज है जिसमें इलेक्ट्रीकल मैकेनिक का कार्य किया जाता है। उसने दिनांक 23.09.2021 को सिलवासा से ऑयल टैंकर वाहन सं. डी.एन. 09 एन. 9676 द्वारा स्वयं की फर्म के नाम से 26071 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल मंगवाया। इस ट्रांसफार्मर ऑयल को टैंकर से अपने घर के सामने रखे खाली लोहे के ड्रमों मे खाली करवा रहा था कि मौके पर पुलिस पहुंची और उक्त कार्य को रूकवा दिया। श्री तोगाराम ने बताया कि वह इस ट्रांसफार्मर ऑयल को बूस्टर/स्टेब्लाईजर मे डालने हेतु मुनाफे के लिए किसानों को बेचता है। मौके पर श्री तोगाराम ने ट्रांसफार्मर ऑयल के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज नही होना बताया। वाहन चालक श्री राजेशसिंह ने बताया कि वाहन संख्या डी.एन, 09 एन, 9676 के मालिक श्री रौनकसिंह है। श्री राजेशसिंह से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नही होना स्वीकार किया। श्री राजेशसिंह व श्री तोगाराम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपरोक्त सामग्री यथा 75 लोहे के ड्रम मय 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1 लोहे का पांच लीटर क्षमता का मापक, 1 लोहे का कीप टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 मय 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर 75 लोहे के ड्रमों व टैंकर के पाचो खण्डों से बराबर मात्रा में नमूनें हेतु [illegible] की स्वच्छ बाल्टी में पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। नमूनों हेतु लिए गये पेट्रोलियम [illegible] को नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम के स्वच्छ पात्रों में भरकर तीनों पर [illegible] आवश्यक सूचनाएँ चस्पा कर तीनों नमूनों को ए–1, ए.–2 व ए.–3 मार्क दिया गया। तीनों नमूनों को प्लास्टिक सीलों से सील्ड किया गया। नमूनों कमांक ए1 को वास्ते एफएसएल. जांच व नमूना कमांक ए–2 श्री तोगाराम को दिया गया व ए.–3 कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिये गये। जब्तसुदा 75 लोहे के ड्रम मय 16500

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1लोहे का पांच लीटर क्षमता का मापक, 1 लोहे का कीप टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 मय 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जिसके पाचो खण्डो को सेन्ट्रल लॉक व वाल्वों व वाल्व बॉक्स के मैन लॉक को प्लास्टिक सीलों से सील्ड कर प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खीवंसर की सुपुर्दगी मे दिया गया और प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री राजेशसिंह, श्री रौनकसिंह, श्री राजसिंह व श्री तोगाराम का यह कृत्य पेट्रोलियम उत्पाद MS & HSD आदेश 2005 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होना मानकर प्रकरण में जब्तसुदा 75 लोहे के ड्रम मय 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1लोहे का पांच लीटर क्षमता का मापक, 1 लोहे का कीप टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 मय 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है, परन्तु तत्पश्चात प्रकरण में **Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur** की रिपोर्ट **कमांक–RFSL(JOD)/6233/CAE/ 136/21** दिनांक 24.12.2021 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ टान्सफार्मर ऑयल पाया गया है, जिस कारण श्री राजेशसिंह, श्री रौनकसिंह, श्री राजसिंह व श्री तोगाराम का यह कृत्य पेट्रोलियम उत्पाद MS & HSD आदेश 2005 के स्थान पर स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के खण्ड 2(ख), 3, 4 का उल्धंन है।

2(1)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में **Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur** की रिपोर्ट **कमांक–RFSL(JOD)/6233/CAE/ 136/21** दिनांक 24.12.2021 में वर्णित किया गया है कि **The liquid sample from the packet marked A-1 did not confirm the BIS specification of diesel (IS-1460 : 2017) in respect of distillation characteristics, kinematic viscosity at 40 °C and density at 15°C. The above sample gave positive test for the presence of transformer oil, having density 0.8551 at 15°C and flash point 174°C (COC).** प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ ट्रान्सर्फामर ऑयल है।

अप्रार्थी संख्या–3 तोगाराम द्वारा प्रकरण में Manager OC, GOC petrochemicals pvt. Ltd. द्वारा Approved Test Certificate of New Insulating oil, Product Name-Gold Transformer oil, Batch No- GOC-21/3683, Date- 21-09-2021 Customer Name- Kisaan Enterprises की छायाप्रति जबाब के साथ प्रस्तुत की है, जिसमें फ्लेस पाईट 140°C होना बताया है एवं प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि ***"कथित पदार्थ ट्रांसफारर्मर ऑयल है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 11 के अनुसार यह अधिनियम ऐसे किसी भी पदार्थ पर लागू नहीं है, जिनका फ्लैश पाइंट 93 डिग्री सेन्टीग्रेड से नीचे का नहीं है। इस प्रकरण में उत्तरदाता ने जो ट्रांसफार्मर ऑयल क्य किया है, उसके विक्रेता ने इस संबंध में जॉच प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाते हुए उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाई है।" "इसके अनुसार कथित पदार्थ का फ्लैश पाईट 93 डिग्री से कम नहीं है।"*** इस प्रकार वकील अप्रार्थी ने स्वंय ने उक्त जब्तशुदा मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को ट्रांसफार्मर ऑयल होना स्वीकार किया है।

2(2)–इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–3 तोगाराम का प्रकरण में जब्तशुदा ट्रान्सफार्मर ऑयल का स्वंय मालिक होना, प्रकरण में जब्तशुदा ट्रान्सफार्मर ऑयल के परिवहन करने के संबंध में जब्तशुदा वाहन डी.एन. 9 एन 9676 का अप्रार्थी संख्या–1 का चालक, अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा मालिक होना एवं अप्रार्थी संख्या–4 खलासी होना पाया गया है। स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के खण्ड 3 के अनुसार बिना वैध अनुज्ञप्ति के ट्रान्सफार्मर ऑयल का भण्डारण एवं खण्ड 4 के अनुसार विकय और परिवहन करने का कारोबार नहीं कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

सकता है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई अनुज्ञप्ति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3 के तहत जारी स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के के खण्ड 2(ख), 3, 4 का उल्लंघन होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी ने प्रकरण में जब्तसुदा 75 लोहे के ड्रम मय 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1लोहे का पांच लीटर क्षमता का मापक, 1 लोहे का कीप टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 मय 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

3. वकील अप्रार्थी श्री भगवानसिंह ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध गलत आधारों पर पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 वाहन नम्बर डी.एन.09 एन.9676 का चालक है तथा अप्रार्थी संख्या 2 इस वाहन का मालिक व अप्रार्थी संख्या 4 इस वाहन का खलासी है। अप्रार्थी संख्या–1 विधिवत रूप से उक्त वाहन में पूजा रोड़ लाईन्स शोप न. जी–9 शिवालय कॉम्पलेक्स एच.पी. पेट्रोल पम्प के पास एन.एच. 48, सलवाव वापिस गुजरात के मार्फत ट्रांसफारमर ऑयल भर कर किसान इन्टर प्राईजेज बेनीवालो की ढाणी कुड़छी तहसील खींवसर लाकर ऑयल वाहन चालक व खलासी खाली करवा रहे थे इसी दौरान वाहन चालक व खलासी को गिरफतार कर वाहन को जब्त कर लिया गया, जबकि वाहन में विधिवत ट्रांसपोर्ट कम्पनी से माल भरवा कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है उक्त माल का अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 न तो मालिक है न ही उन्होने खरीद या विक्रय किया है मात्र ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मार्फत परिवहन किया है जो माल जी. ओ.सी. पेट्रोकेमिकल प्रा.लि. दादर एंड नागर हवेली प्लोट नं. 5 एस.नं.207/5 उमरकुई सिलवासा दादर नगर हवेली का था, संबंधित दस्तावेजात पेश है। इस प्रकार उक्त माल की जी.एस.टी., बिल्टी इत्यादि ट्रांसपोर्ट कम्पनी से कटी हुई है जो दस्तावेज भी पेश है तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 का उक्त माल से कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 व उनके वाहन को गलत रूप से आलिप्त कर प्रकरण दर्ज करवाया गया। उक्त माल परिवहन करते वक्त गुजरात से राजस्थान तक लाते वक्त रास्ते में जगह जगह माल के संबंध में कागजात की जांच भी की गयी है जिसमें भी कोई अवैध परिवहन करना नहीं पाया गया है। उपरोक्त वाहन के चालक व खलासी ने संबंधित दस्तावेजात पुलिस वगैरा को बता दिये मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं की न दस्तावेज लिये व आनन फानन में उनको गिरफतार कर लिया, जिनको माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर से जमानत हो चुकी है। उक्त वाहन मालिक रौनकसिंह को भी पुलिस थाना खींवसर द्वारा हस्तगत प्रकरण से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2021 मे पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया वाहन मालिक ने सम्पूर्ण दस्तावेज पेश कर वस्तु स्थिति से अवगत करवा दिया गया था इसके बावजूद अप्रार्थी रौनकसिंह को न्यायालय में पेश कर रिमाण्ड मांगा गया व अप्रार्थी वाहन मालिक को साथ ले जाकर तमाम कागजात व ट्रांसपोर्ट कम्पनी आदि से जांच कर अप्रार्थी रोनकसिंह को न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय ने अप्रार्थी रोनकसिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण का कथितः माल वैध या अवैध होने के संबंध में कोई सरोकार नहीं है मात्र उनके वाहन से विधिवत हमेशा की भांति ट्रांसपोर्ट कम्पनी से माल भरा गया व किराया प्राप्त करके गंतव्य स्थान तक माल पहुंचाने का दायित्व वाहन चालक व खलासी का [illegible] निरीक्षक ने परिवाद में यह आक्षेप गलत लगाया है कि वाहन चालक व खलासी ने [illegible] के वाहन के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये हो। जबकि वाहन चालक व खलासी [illegible] सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये थे मगर उनकी कोई सुनवाई [illegible] व आनन फानन में उनको आलिप्त कर वाहन को जब्त कर लिया गया। अप्रार्थीगण ने [illegible] दस्तावेजात सक्षम न्यायालय में जमानत के दौरान पेश किये व सक्षम न्यायालय ने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अप्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण के विरूद्व परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक कथित माल का संबंध में इसके संबंध में अप्रार्थी संख्या–3 तोगाराम ही माल का मालिक है तथा उसी के द्वारा खुलासा जवाब इस गलत बाबत दिया जा सकता है यदि कोई मामला बनता है तो अप्रार्थी संख्या–3 तोगाराम के विरूद्व बनता है हम अप्रार्थीगण के विरूद्व परिवाद गलत आधारो पर पेश किया है। यह गलत है कि अप्रार्थीगण राजेशसिंह, रोनकसिंह, राजसिंह व तोगाराम का कृत्य पेट्रोलियम उत्पाद एम.एस–एच.एस.डी. आदेश 2005, स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के के खण्ड 2(ख), 3, 4 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हो। जबकि हस्तगत माल के उतरदाता न तो मालिक है न खरीददार है न विक्रेता है। अप्रार्थीगण के वाहन से विधिवत ट्रांसपोर्ट कम्पनी से माल लोड कर परिवहन किया गया था इसलिए अप्रार्थीगण का कोई भी कृत्य उक्त धारा के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हस्तगत माल का नमूना जांच रिपोर्ट से अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 का कोई सरोकार नहीं है क्योकि कथित माल से अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी के वाहन को इस प्रकरण में अनावश्यक जब्त करने के कारण वाहन लम्बे समय से पड़ा पड़ा खराब हो रहा है उसके टायर आदि क्षतिग्रस्त हो रहे है तथा वाहन मालिक को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। चूंकि उक्त वाहन फाईनेन्ससुदा है तथा लम्बे समय से उपयोग उपभोग नहीं होने के कारण व किराया आदि प्राप्त नहीं होने के कारण फाईनेन्स की किश्ते जमा कराना भी वाहन मालिक के लिए असंभव हो रहा है इन परिस्थितियो में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के वाहन को जब्तसुदा रखना कतई उचित नहीं है तथा परिवाद अप्रार्थी संख्या 1, 2, व 4 के विरूद्व खारिज कर जब्तसुदा वाहन सुपुर्द करवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत होने का कथन करते हुए वकील अप्रार्थी श्री भगवानसिंह ने अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्व परिवाद उक्त प्रावधान के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जाने व अप्रार्थी संख्या 4 का जब्तसुदा वाहन नम्बर डी.एन. 09/एन.9676 सुपुर्द करवाने का निवेदन किया।

4. वकील अप्रार्थी श्री विक्रम जोशी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर तथ्य छुपाकर विधिक प्रावधानो के विपरीत अप्रार्थी संख्या 3 तोगाराम को तंग परेशान करने के दुराशय से प्रस्तुत किया गया हैं, जिसमे वर्णित सम्पूर्ण कथन गलत होने से अस्वीकार है। पुलिस थाना खींवसर एवं जिला रसद अधिकारी के भारसाधक अधिकारियो ने अप्रार्थी संख्या–3 को तंग परेशान करने के दुराशय से वैध रूप से खरीद की गई कर अदा कर प्राप्त की गई सामग्री को खुर्द बूर्द करने के दुराशय से वर्तमान कार्यवाही की हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4(1)–अप्रार्थी संख्या–3 किसान एन्टरप्राईजेज के नाम से विभिन्न प्रकार के ऑयल आदि के विक्रय खरीद फरोख्त का कारोबार करता है। जिसका एकमात्र प्रोपराईटर अप्रार्थी तोगाराम पुत्र भींयाराम है। जिसके लिए उसने भारत सरकार द्वारा आवश्यक जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा हैं, जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर 08 ALKPT2597E1ZL है, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ पेश की गई है।

4(2)–अप्रार्थी संख्या–3 ने जीओसी पेट्रो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड प्लोट नम्बर 5 सर्वे नम्बर 207/5, ग्राम उमरकुई, सिलवासा, गुजरात [illegible] ट्रांसफॉर्मर ऑयल दिनांक 21.09.2021 के द्वारा खरीद किया। जिसके [illegible] सम्पूर्ण विवरण और ट्रांसपोर्टर का नाम दर्ज है। भारत सरकार के विभाग द्वारा अनुसार कथित गोल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल का एचएसएन नम्बर 27101980 हैं, जो उ[illegible] है। इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या–3 उपरोक्त गोल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल का खरीदसुदा स्वामी है। अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा खरीद किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

उपरोक्त माल को विधि अनुसार पूजा रोड लाईन्स के मार्फत जरिये टैक्स इनवॉइस एवं ई–वेबिल के द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 के संस्थान पर भिजवाया गया था, जिसको पुलिस थाना खींवसर के भारसाधक अधिकारियो ने जिला रसद अधिकारी नागौर को सूचना प्रेषित कर सीज कर लिया। जिसको गलत रूप से पुलिस थाना खींवसर व जिला रसद अधिकारी ने सीज किया है। अप्रार्थी संख्या–3 के द्वारा खरीद किये गये उपरोक्त माल की पृथक से कोई रसीद सीज करने के बाबत उतरदाता को उपलब्ध नही करवाई गई और उक्त माल पुलिस थाना खींवसर में जिला रसद अधिकारी द्वारा सीज किया हुआ पड़ा है। जिसकी पुलिस थाना खींवसर व जिला रसद अधिकारी नागौर को कोई आवश्यकता नही है। अप्रार्थी संख्या–3 ने उपरोक्त माल वैध तरीके से कर चुकाकर खरीद किया है और ऐसे गोल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल को वह अपने द्वारा किये जाने वाले ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग आदि में उपयोग उपभोग करता है और अप्रार्थी संख्या–3 ही उक्त माल को बोनाफाईड परचेजर हैं, अन्य किसी का उक्त खरीदसुदा गोल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल में कोई हक हिस्सा अधिकार नही है। उक्त माल पुलिस थाना खींवसर एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा अवैध रूप से विधि विरूद्ध तरीके से सीज किया गया हैं, जो किसी भी प्रकार से निषिद्ध पेट्रोल अथवा डीजल पदार्थ की श्रेणी में नही आता है। कथित पदार्थ ट्रांसफार्मर ऑयल है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 11 के अनुसार यह अधिनियम ऐसे किसी भी पदार्थ पर लागू नही हैं, जिनका फ्लैश पाइंट 93 डिग्री सेन्टीग्रेट से नीचे का नहीं है। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 ने जो ट्रांसफार्मर ऑयल क्रय किया हैं, उसके विकेता ने इस संबंध में जांच प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाते हुए उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाई हैं, जो अप्रार्थी संख्या–3 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ प्रस्तुत की गई है, जो पुलिस थाना खींवसर व जिला रसद अधिकारी को भी उपलब्ध करवाई हुई हैं। इसके अनुसार कथित पदार्थ का फ्लैश पाइंट 93 डिग्री से कम नही है। ऐसी स्थिति में यह आवेदनकर्ता के द्वारा बनाये गये मामले को एकदम झुठा प्रमाणित करता है।

4(3)– पुलिस थाना खींवसर के समक्ष जिला रसद अधिकारी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258 / 2021 भी अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्ध दर्ज करवाई हैं, जिसमे किसी भी प्रकार का कोई नतीजा वर्तमान प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने तक पुलिस द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। कथित मामले की जांच सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाकर जब तक इसका निस्तारण नही किया जा सकता था, तब तक प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नही की जा सकती, क्योकि जिला रसद कार्यालय के भारसाधक अधिकारियो ने इसी मामले को लेकर न्यायिक कार्यवाही प्रस्तुत की हैं, जो विचाराधीन है। कथित पदार्थ किसी भी सूरत में आवेदनकर्ताओ द्वारा बताये अनुसार निषिद्ध पदार्थ की श्रेणी में नही आता हैं, न ही ऐसे पदार्थो पर आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रभावशील ही है। प्रार्थी ने जो माल खरीद किया हैं, उसके लिए केन्द्र सरकार को बहुत बड़ी राशि टैक्स के रूप में दी है और वह अपनी आजीविका के लिए कथित पदार्थ का उपयोग उपभोग करता है। जिसे प्रतिकूलतः प्रभावित करने के दुराशय से यह कार्यवाही उसके विरूद्ध की गई हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध की गईकार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दिनांक 24.09.2021 को श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी नागौर को पेट्रोलियम पदार्थ के [illegible] की थानाधिकारी पुलिस थाना खीवंसर की सूचना के आधार पर हमराह रामजीवन [illegible] प्रवर्तन अधिकारी, रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक एवं शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना खीवंसर पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना खीवंसर से प्राप्त तहरीर के आधार पर [illegible] ग्राम कुडछी तहसील खीवंसर पहुंचे। मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर पुलिस द्वारा [illegible]नशुदा कुल 75 लोहे के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए ड्रम पाये गये व 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के कुल 52 खाली ड्रम पाये गये। मौके पर एक मेनुअल पम्प मय 5 फिट लम्बा प्लास्टिक पाईप, 1 लोहे का 5 लीटर क्षमता का मापक व 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

लोहे का कीप पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे लौहे के 75 ड्रमो का डिपं रोड से मापन करने पर 75 लोहे के ड्रमों मे कुल 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। इसके पश्चात पुलिस थाना खीवंसर पहुंच कर पुलिस थाना मे डिटेनशुदा ऑयल टैंकर वाहन सं. डी.एन. 09 एन. 9676 का मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण करने पर उक्त आयल टैंकर मे पाचं खण्ड पाये गये जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। ऑयल टैंकर मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का गवाहों के समक्ष मापन करने पर टैंकर पर ही उपलब्ध अलग–अलग खण्डों के लिए अलग–अलग डिप रोड्स के अनुसार खण्ड 1 में 1500 लीटर, खण्ड 2 में 1500 लीटर खण्ड 3 में 2000 लीटर, खण्ड 4 में 2000 लीटर व खण्ड 5 में 2500 लीटर अर्थात टैंकर के पाचों खण्डों मे कुल 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या–1 श्री राजेशसिंह वाहन चालक से पुछताछ कर बयान दर्ज किये गये व बयान फर्द मौका के साथ सलंग्न किये गये। अपने बयानों मे श्री राजेशसिंह ने स्वीकार किया कि ऑयल टैंकर वाहन सं. डी. एन. 09 एन. 9676 का वह चालक है। वह सिलवासा से उक्त टैंकर में ट्रांसफार्मर ऑयल भरवाकर बेनीवालों की ढाणी ग्राम कुडछी तहसील खीवंसर स्थित मैसर्स किसान एन्टरप्राईजेज के यहां खाली करवा रहा था कि मौके पर पुलिस पहुंची और उक्त कार्य को रूकवा दिया। मौके पर उपस्थित वाहन सं. डी.एन. 09 एन. 9676 के खलासी अप्रार्थी संख्या–4 श्री राजसिंह पुत्र श्री शैलेन्द्रसिंह के बयान दर्ज कर बयान फर्द मौका के साथ सलंग्न किये गये। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या–3 श्री तोगाराम से पूछताछ कर बयान दर्ज कर फर्द मौका के साथ सलंग्न किये गये। अपने बयानों में श्री तोगाराम ने स्वीकार किया कि उसकी एक फर्म मैसर्स किसान एन्टरप्राईजेज है जिसमें इलेक्ट्रीकल मैकेनिक का कार्य किया जाता है। उसने दिनांक 23.09.2021 को सिलवासा से ऑयल टैंकर वाहन सं. डी.एन. 09 एन. 9676 द्वारा स्वयं की फर्म के नाम से 26071 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल मंगवाया। इस ट्रांसफार्मर ऑयल को टैंकर से अपने घर के सामने रखे खाली लोहे के ड्रमों मे खाली करवा रहा था कि मौके पर पुलिस पहुंची और उक्त कार्य को रूकवा दिया। अप्रार्थी संख्या–3 श्री तोगाराम ने बताया कि वह इस ट्रांसफार्मर ऑयल को बूस्टर / स्टेब्लाईजर मे डालने हेतु मुनाफे के लिए किसानों को बेचता है। मौके पर अप्रार्थी संख्या–3 श्री तोगाराम ने ट्रांसफार्मर ऑयल के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज नही होना बताया। वाहन चालक अप्रार्थी संख्या–1 श्री राजेशसिंह ने बताया कि वाहन संख्या डी.एन, 09 एन, 9676 के मालिक श्री रौनकसिंह है। श्री राजेशसिंह से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नही होना स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या–1 श्री राजेशसिंह व अप्रार्थी संख्या–3 श्री तोगाराम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ / टान्सर्फामर ऑयल के परिवहन, भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपरोक्त सामग्री यथा 75 लोहे के ड्रम मय 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1 लोहे का पांच लीटर क्षमता का मापक, 1 लोहे का कीप टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 मय 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर 75 लोहे के ड्रमों व टैंकर के पाचो खण्डों से बराबर मात्रा में नमूने एकत्रित किये जाकर वास्ते एफएसएल. जांच हेतु भिजवाया गया। जब[illegible] लोहे के ड्रम मय 16500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के खाली [illegible] 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1लोहे का पांच [illegible]ता का म[illegible] 1 लोहे का कीप, टैंकर नं. डीएन, 09 एन 9676 मय 9500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जिसके पांचो खण्डो को सेन्ट्रल लॉक व वाल्वों व वाल्व बॉक्स के मैन लॉक को प्लास्टिक सीलों से सी[illegible] कर प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खीवंसर की सुपुर्दगी मे दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

5(1)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट क्रमांक–RFSL(JOD)/6233/CAE/ 136/21 दिनांक 24.12.2021 में वर्णित किया गया है कि The liquid sample from the packet marked A-1 did not confirm the BIS specification of diesel (IS-1460 : 2017) in respect of distillation characteristics, kinematic viscosity at 40 °C and density at 15°C. The above sample gave positive test for the presence of transformer oil, having density 0.8551 at 15°C and flash point 174°C (COC). प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या–3 तोगाराम द्वारा प्रकरण में Manager OC, GOC petrochemicals pvt. Ltd. द्वारा Approved Test Certificate of New Insulating oil, Product Name-Gold Transformer oil, Batch No- GOC-21/3683, Date- 21-09-2021 Customer Name- Kisaan Enterprises की छायाप्रति जबाब के साथ प्रस्तुत की है, जिसमें फ्लेस पांईट 140°C होना बताया है एवं प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रस्तुत जबाब में कथन किया गया है कि ***"कथित पदार्थ ट्रांसफारर्मर ऑयल है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 11 के अनुसार यह अधिनियम ऐसे किसी भी पदार्थ पर लागू नहीं है, जिनका फ्लैश पाइंट 93 डिग्री सेन्टीग्रेड से नीचे का नहीं है। इस प्रकरण में उत्तरदाता ने जो ट्रांसफार्मर ऑयल कय किया है, उसके विकेता ने इस संबंध में जॉच प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाते हुए उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाई है।" "इसके अनुसार कथित पदार्थ का फ्लैश पांईट 93 डिग्री से कम नहीं है।"*** इस प्रकार वकील अप्रार्थी ने स्वंय ने उक्त जब्तशुदा मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को टांन्सफार्मर ऑयल होना स्वीकार किया है।

5(2)–इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–3 तोगाराम द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा ट्रान्सफार्मर ऑयल का स्वंय मालिक होना, प्रकरण में जब्तशुदा ट्रान्सफार्मर ऑयल के परिवहन करने के संबंध में जब्तशुदा वाहन डी.एन. 9 एन 9676 का अप्रार्थी संख्या–1 चालक, अप्रार्थी संख्या–2 मालिक होना एवं अप्रार्थी संख्या–4 खलासी होना स्वीकार किया है। स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के खण्ड 3 के अनुसार बिना वैध अनुज्ञप्ति के ट्रान्सफार्मर ऑयल का भण्डारण एवं खण्ड 4 के अनुसार विकय और परिवहन करने का कारोबार नहीं कर सकता है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई अनुज्ञप्ति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3 के तहत जारी स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के के खण्ड 2(ख), 3, 4 का उल्लंघन है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रसद मामला आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 75 लोहे के ड्रम मय 16500 लीटर ट्रान्सफार्मर ऑयल, 25 लोहे के व 27 प्लास्टिक के खाली ड्रम, 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1लोहे का पांच लीटर क्षमता का मापक, 1 लोहे का कीप टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 मय 9500 लीटर ट्रान्सफार्मर ऑयल को राजहक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत सम्पहरण (Confiscate) किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त कुल 26000 लीटर ट्रान्सफार्मर ऑयल, 100 लोहे के ड्रम व 27 प्लास्टिक के ड्रम, 1 मैनुअल पम्प मय 5 फुट लम्बा पाईप प्लास्टिक, 1लोहे का पांच लीटर क्षमता का मापक एवं 1 लोहे का कीप को उचित माध्यम से नियमानुसार कीमत पर विक्रय किया जावे एवं विकय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाई जावे एवं उक्त विक्रय से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 को सम्पहरण करने के बदले में अप्रार्थी संख्या–2 रौनकसिंह(वाहन मालिक) पर 5,00,000/- रूपये (अक्षरे पांच लाख रूपये) जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या–2 रौनकसिंह द्वारा इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस में उक्तानुसार जुर्माना राशि जिला रसद अधिकारी नागौर के कार्यालय में नियमानुसार जमा करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 19:12:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

दिये जाने पर जब्तशुदा टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 को अप्रार्थी संख्या–2 रौनकसिंह को सपुर्द करने एवं यदि अप्रार्थी संख्या–2 रौनकसिंह द्वारा जुर्माना राशि नियत अवधि में जमा नहीं करवाने पर नियत अवधि की समाप्ति के पश्चात टैंकर नं. डीएन. 09 एन 9676 को खुली नीलामी में नीलाम किया जाकर जुर्माना राशि वसूल की जाकर राजकोष में जमा करवाई जावे। उक्तानुसार प्राप्त जुर्माना राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर को उपर्युक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:12:51 IST
Reason: SelfAttested